न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 01-02-24 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल--तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल–तिजारा) राज0
पीठासीन अधिकारी अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 71/2002 | तारीख दायर 26-05-2002 | तारीख फैसला 01/02/2024

उनवान

निवाज खां पुत्र हन्नु उर्फ सलेम (मृतक)
1/1 – मोहरबी पत्नी स्व0 निवाज खां उम्र 90 वर्ष
1/2 – रूद्दार खां
1/3 – समसुद्दीन
1/4 – अहमद खांन
1/5 – फकरूदीन पुत्रान निवाज खां जाति मेवान निवासीयान तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

————:: वादीगण

बनाम

1. हीरालाल पुत्र होन्दाराम
2. टीकाराम पुत्र होन्दाराम जाति खत्री निवासी तिजारा हाल निवासीयान मकान नम्बर 4/192, एनईबी हाउसिंग बोर्ड, कृषि उपज मंडी के पीछे अलवर तहसील व जिला अलवर (राज0)

—————:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण मे सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण ने यह वाद इश्तकरार हक मय दुरूस्ती वो हुक्मइम्तनाई ... अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ...ी खसरा नम्बर साबिक 885 रकबा 19 बिस्वा, 886 रकबा 1 बिस्वा किता 2 रकबा 1 बीघा वाके कस्बा ...ा तहसील तिजारा वादी के दादा बागसिंह पुत्र गल्ला मेव निवासी तिजारा की कब्जा काश्त एवं खातेदारी की ...ी थी, जिस पर वे बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। इसलिए उन्हे ... खातेदारी स्वतः ही प्राप्त हो चुके थे। साबिक जमाबन्दी संवत् 2013 वाके तिजारा में उनके नाम का काश्त ...न्द्राज हो रहा है। बागसिंह की मृत्यु के पश्चात वादी का पिता काबिज हुआ और हुन्नू उर्फ सलेम की मृत्यु के ...ात मिन वादी उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज एवं दखिल हूँ। मौके पर मिन वादी का ...ा काश्त है। बन्दोबस्त विभाग ने उपरोक्त साबिक खसरा नम्बर 885 रकबा 19 बिस्वा, 886 रकबा 1 बिस्वा के ... खसरा नम्बर 2106 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम तिजारा पैमूद किया ... बन्दोबस्त विभाग ने जो जमाबन्दी संवत् ...9 तैयार की उसमें गलत तौर से खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून ... को नोटिस दिये बगैर अथवा ...ात किये बिना विवादित आराजी की बाबत जमाबन्दी ... प्रतिवादीगण के पिता हुन्दाराम पुत्र ...मचन्द कौम खत्री साकिन देह खातेदार दर्ज कर दिया तथा उसके ... तैयार की गई जमाबन्दीयात में इसी ...दर इन्द्राज होते चले आ रहे है। हुन्दाराम फौत हो चुका है, जिसके वारिसान प्रतिवादीगण है। जमाबन्दी संवत् ...051 में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी का इन्द्राज हो रहा है। जबकि प्रतिवादीगण अथवा उनके पिता का ...िवादित आराजी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। न जायद अज 50 वर्षों से उनका कोई ...ब्जा ही रहा है। प्रतिवादीगण स्वयं गत 20 वर्षों से अलवर रहते है मौके पर मिन वादी का बहैसियत खातेदार ...ाश्तकार कब्जा चला आ रहा है। मिन वादी को इस गलत इन्द्राज की अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:39 IST
Reason: SelfAttested

को पटवारी हल्का से हाल जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर इस गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, मिन वादी ने प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कराने को कहां तो वे टाल–बाल करते रहे और ाक 28.06.99 को दुरूस्ती कराने से साफ इन्कार हो गये। यह ही बिनाय मुखासमत पैदा होकर दावा हाजा रना लाजिम आया है। मिन वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 2106 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम कस्बा हसील तिजारा पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज एवं दखिल है। आज भी मौके पर मिन वादी का ाश्त है। प्रतिवादीगण का इस आराजी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। ना ही वे आराजी है। राजस्व रिकार्ड में मौजूदा इन्द्राजात के कायम रहने से मिन वादी के अधिकारों पर कुठाराघात और प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा में बेजा हकूक प्राप्त होते है। चूंकि वादी के अधिकार कानून द्वारा है, इसलिए अपने हकूकों की रक्षार्थ दावा हाजा पेश है। वादी न्यायालय श्रीमान् द्वारा स्वयं को विवादित का तन्हा खातेदार काश्तकार काबिज एवं दाखिल घोषित कराने तथा जमाबन्दी संवत् 2029 लगायत हाल समस्त राजस्व रिकार्ड में इसी कदर अपने नाम का अंकन कराने का अधिकारी है। करार दिया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 2106 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर का तन्हा र काश्तकार काबिल एवं दाखिल है एवं जमाबन्दी संवत् 2029 लगायत हाल व अन्य कागजात माल में इसी अपने नाम का अंकन कराने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर जबाब दावा प्रस्तुत का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही में लाई गई। तत्पश्चात वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र निवाज खॉ पुत्र हुन्नू उर्फ सलेम जाति मेव ी ग्राम तिजारा जिला अलवर, आमीन पुत्र रूस्तम जाति मेव निवासी महराणा तहसील तिजारा जिला अलवर किये जो शामिल पत्रावली किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नक्शा ट्रेस (प्रदर्श 1), जमाबन्दी संवत् 2013 2), जमाबन्दी संवत् 2016 (प्रदर्श 3), नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029 (प्रदर्श 4), जमाबन्दी संवत् 2029 5), जमाबन्दी संवत् 2051 (प्रदर्श 6), वादी द्वारा 50 रू के स्टाम्प पर सजरा पेश किये जो शामिल पत्रावली गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस सुनी। मुताबिक साबिक खसरा नम्बर 885 रकबा 19 बिस्वा व 886 रकबा 1 वाके ग्राम तिजारा जमाबन्दी संवत् 2016 में हुन्दाराम पुत्र मुन्दर्जे दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबन्दी संवत् 2029 समय उक्त साबिक खसरा नम्बर 885 व 886 के हाल खसरा नम्बर 2106 बनाये गये है। जमाबन्दी संवत् में हीरालाल, टीलाराम पि0 होंदाराम दर्ज रिकार्ड है। हीरालाल व टीलाराम द्वारा उक्त आराजी को ईकरार बेचान दिनांक 27.05.98 द्वारा निवाज खां जाति मेव को किया गया है। ऐसी सूरत में वादी का वाद डिक्री जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2106 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम तिजारा पर ी के वारिसान को समभाग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादीगण का नाम उक्त रकबे से ाफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री री हो।

आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:39 IST
Reason: SelfAttested

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (कैथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (खैरथल–तिजारा) राज0

पीठासीन अधिकारी अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 71/2002

तारीख दायर 25–05–2002

तारीख फैसला 01/02/2024

उनवान

निवाज खां पुत्र हन्नु उर्फ सलेम (मृतक)
1/1 – मोहरबी पत्नी स्व0 निवाज खां उम्र 90 वर्ष
1/2 – रूजदार
1/3 – समसूदीन
1/4 – अहमद
1/5 – फकरूदीन पुत्रान निवाज खां जाति मेवान निवासीयान तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

–––––:: वादीगण

बनाम

हीरालाल पुत्र होन्दाराम
टीलाराम पुत्र होन्दाराम जाति खत्री निवासी तिजारा हाल निवासीयान मकान नम्बर 4/192, एनईबी हाउसिंग बोर्ड, कृषि उपज मंडी के पीछे अलवर तहसील व जिला अलवर (राज0)

––––––:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिक्री ::–

आराजी खसरा नम्बर 2106 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम तिजारा पर वादी के वारिसान को समभाग खातेदार ! घोषित किया जाता है प्रतिवादीगण का नाम उक्त रकबे से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है। ार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।
आदेश सुनाया गया।

(अनूप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (खैरथल–तिजारा)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.26 12:35:39 IST
Reason: SelfAttested